

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सचिव,
स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 25 अगस्त, 2014

विषय:- हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6097/14, दिनांक 01.07.2014, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित तथ्यों/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेट्रो ग्रुप फार एजुकेशन एण्ड मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रस्तावित मेट्रो कालेज ऑफ नर्सिंग, प्लॉट नं० 41, नॉलेज पार्क-3, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्ध नगर को हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में 30 छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

1. संस्था द्वारा एक वर्ष के अन्दर प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की कार्यवाही की जाय।
 2. संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों एवं चयन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।
 3. संस्था का उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष निरीक्षण कराया जायेगा। यदि संस्था द्वारा उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी/राज्य सरकार के किसी भी दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो संस्थान की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- 2- कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव

संख्या- 236/ (1)/71-2-14-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, मेट्रो ग्रुप फार एजुकेशन एण्ड मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रस्तावित मेट्रो कालेज ऑफ नर्सिंग, प्लॉट नं० 41, नॉलेज पार्क-3, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्ध नगर।
4. समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।